[2020] 4 एस.सी.आर. 546

अक्षय कुमार सिंह

बनाम

भारत संघ और अन्य

(2020 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 121)

19 मार्च, 2020

[आर. भानुमति, अशोक भूषण और ए.एस. बोपन्ना, न्यायमूर्ति]

निर्भया मामला - भारत के राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका को खारिज करने का आदेश - की न्यायिक समीक्षा - एक सिद्धदोषी द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका - अभिनिर्धारित किया गया: दया याचिका में भारत के राष्ट्रपति द्वारा लिए गए निर्णय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति का अनुप्रयोग बहुत सीमित है - याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए आधारों को ध्यान में रखते हुए, यह अभिनिर्धारित करने का कोई आधार नहीं है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा विवेक का उपयोग नहीं किया गया था - भारत का संविधान - अनुछेद 32 - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 432, 433

एपुरू सुधाकर और एक अन्य बनाम ए.पी. सरकार और अन्य **(2006) 8 एस.सी.सी. 161: [2006] 7 पूरक एस.सी.आर. 81 - पर भरोसा किया गया।**

सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन **(1978) 4 एस.सी.सी. 494: [1979] 1 एस.सी.आर. 392;** *शत्रुघ्न चौहान और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य* **(2014) 3 एस.सी.सी. 1: [2014] 1 एस.सी.आर. 609 - को संदर्भित किया गया।**

<u>निर्णय विधि संदर्भ</u>

[1979] 1 एस.सी.आर. 392	**को संदर्भित किया**	**पैरा 4**
[2006] 7 पूरक एस.सी.आर. 81	**पर भरोसा किया गया**	**पैरा 5**
[2014] 1 एस.सी.आर. 609	**को संदर्भित किया**	**पैरा 5**

आपराधिक मूल अधिकारिता: 2020 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 121

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

डॉ. ए.पी. सिंह, सुश्री गीता चौहान, वी.पी. सिंह और सदाशिव, अधिवक्तागण, याचिकाकर्ता के लिए।

तुषार मेहता, एस.जी., के.एम. नटराज, ए.एस.जी., कानू अग्रवाल, सुश्री स्वाति घडियाल, शरत नांबियार, बी.वी. बलराम दास और चिराग एम. श्रॉफ, अधिवक्तागण, प्रत्यर्थियों के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

आदेश

1. हमने अक्षय कुमार सिंह-सिद्धदोषी की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता डॉ. ए. पी. सिंह को सुना है।

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपनी दया याचिका को खारिज करने के आदेश को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी है कि दया याचिका पर विचार करने के तय किए गए सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया है।

3. याचिकाकर्ता ने पहले 31.01.2020 पर दया याचिका भेजी है और वह अधूरी थी। इस संबंध में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने 01.02.2020 पर एक पत्र भी भेजा था। याचिकाकर्ता ने फिर से 18.03.2020 पर दया याचिका भेजी थी और इसे भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने 19.03.2020 पर खारिज कर दिया था।

4. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न आधार उठाए हैं, नामतः (i) दया याचिका की अस्वीकृति में न्याय की विफलता थी (ii) याचिकाकर्ता को सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन और अन्य, (1978) 4 एस.सी.सी. 494 में सूचित किया गया है, का उल्लंघन करते हुए एकांत कारावास में रखा गया था। (iii) याचिकाकर्ता को जेल में प्रताड़ित किया गया है जिसके लिए याचिकाकर्ता को उपचार दिया गया है; याचिकाकर्ता ने उपचार की प्रकृति और उसे दी गई दवा का भी उल्लेख किया था (iv) पद पर बैठे व्यक्तियों ने मीडिया और प्रेस को साक्षात्कार दिए हैं और याचिकाकर्ता के अनुसार दया याचिका की अस्वीकृति ऐसे विचारों से प्रभावित है। याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ अन्य आधार भी उठाए थे।

5. इस न्यायालय द्वारा लिया गया सुसंगत दृष्टिकोण है कि दया याचिका में भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा लिए गए निर्णय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति का अनुप्रयोग बहुत

सीमित है। एपुरू सुधाकर और एक अन्य बनाम ए.पी. सरकार और अन्य-2006 (8) एस.सी.सी. 161 पैरा 34 और 35 के अनुसार, उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः

"34. इसलिए यह स्थिति निर्विवाद है कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल के आदेश की न्यायिक समीक्षा या अनुच्छेद 161, जैसा भी मामला हो, उपलब्ध है और उनके आदेशों को निम्नलिखित आधारों पर आक्षेपित किया जा सकता हैः

(क) कि आदेश बिना किसी विवेक के प्रयोग के पारित किया गया है;

(ख) कि आदेश दुर्भावनापूर्ण है;

(ग) कि आदेश बाहरी या पूरी तरह से अप्रासंगिक विचारों पर पारित किया गया है;

(घ) कि सुसंगत सामग्रियों को विचार से बाहर रखा गया है;

(ङ) कि आदेश मनमानेपन से ग्रस्त है।

35. विद्वान न्यायमित्र द्वारा दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी प्रकाश डाला गया; एक क्षमा/छूट देने के आदेश में कारणों को इंगित करने की वांछनीयता से संबंधित था जबकि दूसरा क्षमा/छूट देने के आदेश को वापस लेने की शक्ति से संबंधित एक समान रूप से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न था, यदि बाद में, यह दिखाने के लिए तात्विक सामग्री रखी जाती है कि कुछ प्रासंगिक तात्विक सामग्रियों पर विचार नहीं किया गया था या व्यापक मूल्य की कुछ तात्विक सामग्रियों को विचार से बाहर रखा गया था। विद्वान न्यायमित्र के अनुसार, कारणों का संकेत दिया जाना चाहिए, जिसके अभाव में न्यायिक समीक्षा का अभ्यास प्रभावित होगा।"

उक्त निर्णय का पालन *शत्रुघ्न चौहान और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य*, (2014) 3 एस.सी.सी. 1 में रिपोर्ट किया गया, के मामले में किया गया।

6. उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, जब हम याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए आधारों पर विचार करते हैं, तो हमें यह अभिनिर्धारित करने के लिए कोई आधार नहीं मिलता है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा विवेक का उपयोग नहीं किया गया था। जहाँ तक जेल में याचिकाकर्ता की कथित यातना का संबंध है, जैसा कि हमने 2020 की पूर्व रिट याचिका (आपराधिक) डायरी संख्या 3334 में अभिनिर्धारित किया है, जेल में कथित यातना भारत के राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका को अस्वीकार करने के आदेश की समीक्षा के लिए आधार नहीं हो सकती है।

7. जहाँ तक याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए आधारों का संबंध है कि समाचार पत्रों में रिपोर्ट किए गए अधिकारिक पद पर बैठे व्यक्तियों द्वारा दिए गए प्रेस साक्षात्कारों ने दया याचिका को अस्वीकार करने में भारत के राष्ट्रपति के निर्णय को प्रभावित किया है, जब निर्णय भारत के राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकारी द्वारा लिया गया है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रपति समाचार पत्रों में दिए गए ऐसे साक्षात्कारों से प्रभावित थे।

8. याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता डॉ. ए. पी. सिंह ने यह भी तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता की पत्नी ने तलाक की याचिका दायर की है और वह विचारण के लिए लंबित है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि यदि 20.03.2020 के लिए निर्धारित मृत्यु वारंट को निष्पादित किया जाता है तो उस पत्नी का क्या होगा जिसने तलाक की याचिका दायर की है, जिसने कहा है कि वह मौत की सजा पाए दोषी की विधवा के रूप में नहीं रहना चाहती है।

9. जैसा कि हमने भारत के राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका की अस्वीकृति के आदेश की न्यायिक समीक्षा की मांग करने वाली याचिका पर विचार करते समय पहले बताया है, समीक्षा शक्ति का प्रयोग केवल एपुरू सुधाकर (उपरोक्त) और अन्य निर्णयों में बताए गए आधारों पर है। कहा जाता है कि तलाक की याचिका याचिकाकर्ता की पत्नी द्वारा दायर की गई थी और याचिकाकर्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 और 433 के तहत उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री के समक्ष दायर याचिकाएं, दया याचिका को खारिज करने वाले भारत के राष्ट्रपति के आदेश की न्यायिक समीक्षा के अभ्यास के लिए आधार नहीं हो सकती हैं। न ही यह कहा जा सकता है कि इन बाद की घटनाओं पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए था, जिन्होंने मामले के अभिलेख और उनके सामने रखे गए साक्ष्य और अन्य तात्विक सामग्रियों को देखा है।

10. जहाँ तक दोषी पवन कुमार गुप्ता को लगी चोटों के बारे में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क और उसे दिया गया उपचार और सिर पर लगाए गए टांके इस याचिका के प्रासंगिक विचार नहीं हैं।

11. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हमने भारत के राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका की अस्वीकृति के आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका को खारिज करते हुए, 2020 की रिट याचिका (आपराधिक) डायरी संख्या 3334, मुकेश कुमार बनाम भारत संघ और अन्य में दिनांक 29.01.2020 को एक विस्तृत आदेश पारित किया है। विनय शर्मा द्वारा दया याचिका की अस्वीकृति को चुनौती देने वाली दायर रिट याचिका को भी एक विस्तृत आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। उन आदेशों को लागू करते हुए, हम इस रिट याचिका पर विचार करने का कोई

आधार नहीं पाते हैं, जिसमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका की अस्वीकृति के आदेश की किसी भी न्यायिक समीक्षा का संज्ञान लेने की आवश्यकता हो।

12. तदनुसार रिट याचिका खारिज कर दी जाती है।

दिव्या पांडे

रिट याचिका खारिज कर दी गई।

<u>अस्वीकरण :</u>

क्षेत्रीय भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

लाल सिंह, पूर्व ए.डी.जे.